

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अगियान शिविर मुकाग धनोप तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 89/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

- 1 श्रीमती मीरा देवी पत्नि प्रहलाद खटीक उम्र-वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीया

बनाम

- 1 जगदीश प्रसाद पिता मोहनदास वैरवा उम्र-वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 मु.धापू पत्नि कल्याण माली उम्र-वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :- श्री विजय पाराशर --- अधिवक्ता प्रार्थीया  
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित- श्रीमती मदीना बानू --- अधि. अप्रार्थी 2

### निर्णय

दिनांक 14.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 10.07.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 605 के आराजी संख्या 160 रकबा 0.63 हैक्ट. प्रार्थीया के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीया के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पड़ता है। प्रार्थीया शुरुआत से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर आती जाती रही है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीया ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 162, 163 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 162, 163 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं  
उप खण्ड अधिकारी  
फुलिया कलां (भाब.)




प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 10.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप दिनांक 14.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 01, 02 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीया ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम धनोप स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 162 रकबा 0.85 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर / 132 वर्गमीटर), विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 163 रकबा 0.34 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर / 132 वर्गमीटर) सुगमतम एवं निकटतम प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीया को विपक्षीगण की आराजीयात में से 4.56 मीटर चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीया को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणों ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम धनोप स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 162 रकबा 0.85 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर / 132 वर्गमीटर), विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 163 रकबा 0.34 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर / 132 वर्गमीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उप खण्ड अधिकारी  
 फुलियाकलां (ब) )

## आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 01, 02 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 162 रकबा 0.85 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर/132 वर्गमीटर), विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 163 रकबा 0.34 हैक्टे. में से 0.0132 हैक्टे. (2.28 मी. गुणा 58 मीटर/132 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 162, 163 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0264 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 9,510/- रुपये (0.0264 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी संख्या 01, 02 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप के खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला  
सहायक कलेक्टर एवं  
जिला भीलवाड़ा,  
फुलियाकला (भा.द.)

प्रतिलिपि-

1- तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।



उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला  
सहायक कलेक्टर एवं  
जिला भीलवाड़ा,  
फुलियाकला (भा.द.)

मीरा

वर्णित रास्ता आ.नं. 140 से होकर विपक्षीगण की आराजी की